(40)

न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन

प्र०क्र० 10/17 पुर्ननिरीक्षण

PBR/निगरानी/देवास/भू०रा०/2018/01171

प्रार्थी अभिभाषक श्री अजय कुमावत
द्वारा प्रस्तुत 16-3-2017
दिनांक

अपर आयुक्त
उज्जैन-संभाग, उज्जैन

अम्बाराम पिता कालुराम पटेल

निवासीग्राम बालगढतहसील व जिला देवास-पुर्नरिक्षणकर्ता

विरूध्द

कृषि बीज भण्डार ग्रह निगम बालगढ़

तहसील व जिला देवास म०प्र०----------प्रत्यर्थी

342
16-3-17

पुर्नरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू०रा०सं०

::::::::::::::::

माननीय महोदय,

पुर्नरिक्षणकर्ता की ओर से न्यायालय कलेक्टर जिला देवास के प्रकरण क्रमांक 07/अपील/2015-16 आदेश दिनांक 19-12-2016 से व्यथीत एवं दुखी एवं असन्तुष्ट होकर न्यायार्थ यह निगरानी सादर पेश है-

अपील के तथ्य

::::::

आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सक्षम न्यायालय मे पेश करने हेतु आवेदक अभिभाषक को वापस की जाती है।

अपर आयुक्त
उज्जैन संभाग, उज्जैन

प्राप्त
2-1-18

1/- यह कि आवेदक की प्रत्यक्ष आधिपत्य एवं स्वामित्व स्वत्व की कृषि भूमि सर्वेक्रमांक 39/1/2 एवं 40/1 कुल रकबा0.826 हेक्टर स्थित ग्राम बालगढ तहसील व जिला देवास जिसके चारो ओर म०प्र०कृषि बीज भण्डार ग्रह निगम बालगढ की जमीन स्थित है। उक्त जमीन मे से आवेदक का रास्ता एकमात्र आने जाने का रास्ता परम्परागत रूढीगत होकर उसी रास्ते का आवेदक उपयोग एवं उपभोग करता चला आ रहा था किन्तु प्रत्यर्थी के व्दारा आवेदक को अपनी कृषि भूमि पर तार फेन्सींग कर एवं गेट लगाकर बन्द कर दिया जिस कारण आवेदक ने तहसीलदार देवास के न्यायालय मे आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 131, 133, 134, एवं धारा 32 म०प्र०भू०रा०संहिता के अन्तर्गतपेश किया गया। किन्तु तहसीलदार व्दारा आवेदक को अन्तरिम रास्ता तो दिलाया गया किन्तु आवेदक का मूल आवेदनपत्र निरस्त कर दिया गया जिसके विरूध्द प्रथम अपील भूअधिक्षक भू प्रबन्धन जिला देवास को की गयी किन्तु आवेदक को वहा भी न्याय नही मिला होकर अन्तरिम रास्ता तो दिलाया गया किन्तु अपील निरस्त कर दी गयी जिसके विरूध्द आवेदक व्दारा न्यायार्थ व्दितीय अपील न्यायालय कलेक्टर जिला देवास को प्रस्तुत की गयी किन्तु उनके व्दारा

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(५१)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/देवास/भू.रा./2018/1171

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	